77

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) ... , जयपुर

क्रमांकः एफ14( )2016 / नागौर–सीकर / एफसीए / प्रमुवसं / 4438 दिनांकः 6.12.17

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षैत्रीय कार्यालय (मध्यक्षैत्र)
पंचम तल, केन्द्रीयभवन, सेक्टर–एच,
अलीगंज, लखनऊ –226024 (उ0प्र0)

विषयः–Diversion of 84.248 ha (74.598 ha in Nagaur and 9.65 ha in Sikar) of forest land in favour of Executive Engineer-II PPP all PWD, Jaipur for development of Tarnav-Deedwana-Laxmangarh-Mukandgarh sec. of SH 60, SH 20, SH 83, SH 82 A, SH 8 from design Chainage from Tarnav-Mukandgarh 39.668 KM to 205.300 KM in Nagaur and Sikar District, Raj.

संदर्भः–आपके कार्यालय का पत्र सं. 8 बी / राज / 06 / 22 / 2017 / एफसी / 574 दि. 06.11.17 P.74/c

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के साथ अधिरोपित की गई शर्तो की पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, नागौर ने अपने पत्रांक 5276 दिनांक 5.12.17 (प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की है, जो कि निम्नानुसार हैः–

क. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति के साथ लगायी गयी शर्ते	पालना रिपोर्ट
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2.	जनपद नागौर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वनक्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात 149.196 है0 (74.598 X2 =149.196) पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण वनक्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 1,92,46,284/– ई–चालान द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक, बैंगलोर के मार्फत एडहॉक केम्पा खाता नई दिल्ली में जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।
3.	जनपद सीकर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 9.65 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद सीकर में प्रभावित वनक्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 9.65 है0 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 14,95,750/– (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पामद में जमा करा दी गई है। जमा राशि के बैंक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। डायवर्जन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के समतुल्य गैर

–PTO

Scanned with CamScanner

	हस्तांतरण एवं नामांतरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वनभूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वनभूमि 9.65 है0 जिला कलक्टर, सीकर के आदेश क्र. 5616–19 दि. 1.12.17 द्वारा वन विभाग को आवंटित कर दी गई है तथा भूमि का वन विभाग के नाम नामांतरण तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा किया जा चुका है। प्रति संलग्न है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007–एफसी दि. 5.2.09 के तहत में दिये गये आदेशानुसार एन.पी.वी. की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। इसके उपरांत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एनपीवी, सीए हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	नागौर वनमण्डल में प्रस्तावित वनभूमि 74.598 है0 की एन.पी.वी राशि रूपये 3,26,73,924/– ई–चालान द्वारा कॉर्पोरेशन बैंक, बैंगलोर के मार्फत एडहॉक केम्पा खाता नई दिल्ली में जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है। सीकर वनमण्डल में 9.65 है0 वनभूमि की एन. पी.वी राशि रूपये 60,40,900/– जमा करा दी गई है। जमा राशि के बैंक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। मदवार जमा की गई राशि का विवरण प्रपत्र (12 कॉलम) संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6.	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जावेगा। यह सीमांकन 4" फीट उंचे आरसीसी पिलर का किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पिलर पर कमांक, डीजीपीएस निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती सीमा स्तम्भों से दूरी दर्शायी जाएगी।	इस आशय का वचनबद्धता पत्र यूजर एजेंसी से प्राप्त कर लिया गया है, जो संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आईआरसी के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र सं. 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दि. 16.11.15 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा	माननीय एनजीटी के आदेश की अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाये जाने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण वचनबद्ध है। इस आशय का वचनबद्धता पत्र उक्त दोनों वनमण्डलों ने यूजर एजेंसी से प्राप्त कर लिया गया है, जो संलग्न है।

Scanned with CamScanner

	Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक, नागौर एवं सीकर से स्वीकृत करा प्रति संलग्न है। (प्रति संलग्न)
9.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगी।	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण संलग्न है।
10.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	डायवर्जन हेतु प्रस्तावित 84.248 है0 वनभूमि में से 3.3 है0 वनभूमि में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है जिसको प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है। शेष वनभूमि पर कोई वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है। उप वन संरक्षक, नागौर एवं सीकर का प्रमाण पत्र संलग्न है।

उक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो की पालना हो चुकी है। अतः उक्त प्रकरण में वनभूमि प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उक्तानुसार ।

भवदीय,

(ए.के. सिंह)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर
दूरभाष कार्यालय-01412713759, मो.नं. 9414059148

क्रमांक: एफ14( )2016/नागौर-सीकर/एफसीए/प्रमुवसं/ 4439-42 दिनांक: 6.12.17

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर संभाग, अरावली भवन, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर ।
4. परियोजना निदेशक-II (पीपीपी), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner

(2)

89

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन भवन, सांवली रोड, सीकर 332001

क्रमांक एफ ( ) एफसीए/ उवसंसी/ 2017–18/ दिनांक

निमित:–

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अरावली भवन,
जयपुर।

विषय :– Diversion of 84.248 Ha. (74.598 ha. in Nagaur and 9.65 ha. in Sikar) of forest land in favour of Exceutive Engineer-II, PPP cell PWD Jaipur for development of Tarnau-Deedwana-Laxmangarh-Mukundgarh Section of SH 60, SH-20, SH-83, SH-82A, SH-8 from desing chainage from Tarnau to Mukundgarh 39.668 Km. to 205.300 Km. in Nagaur and Sikar District (Rajasthan) Online Proposal No. FP/RAJ/OTHER/21211/2016

संदर्भ :– वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) भारत सरकार का सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्रांक– 8वी/राज./06/22/2017/एफ.सी./574 दिनांक 06.11.2017

p.74/c

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट निम्नानुसार श्रीमान को प्रस्तुत है।

क्र. सं.	शर्त	अनुपालना
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण पी.डी0–II (पीपीपी) पीडब्ल्यूडी, जयपुर के पत्रांक डी–64 दिनांक 30.11.2017 की प्रति संलग्न है ।
2	जनपद नागौर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वनभूमि पर अर्थात् 149.196 है0 (74.598x2=149.196) है0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 02 नागौर वन मण्डल से संबंधित है।
3	जनपद सीकर के अन्तर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 9.65 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 9.65 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 14,95,750/– प्रचलित दरों को समाहित करते हुए कैम्पा मद में जमा करवा दी गई है। जमा राशि के बैंक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। डाईवर्जन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि 9.65 है0 जिला कलक्टर, सीकर के आदेश क्रमांक 5616–19 दिनांक 01.12.2017 द्वारा वन विभाग को आवंटित कर दी गई है तथा भूमि का वन विभाग के नाम नामान्तरकरण तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा किया जा चुका है (प्रति संलग्न)।

Scanned with CamScanner

90

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत् दिये गये आदेशानुसार शुद्ध मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी। इसके उपरांत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन संख्या आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन०पी०वी० हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	शर्त की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन मण्डल, सीकर के संदर्भ में 9.65 है० X 626000 रूपये प्रति हैक्टर की दर से शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की राशि 6040900/– जमा करवा दिये गये है। जमा राशि के बैंक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन मण्डल सीकर में प्रस्तावित 9.65 है० वन भूमि के पेटे जमा करवाई गई धन राशि का मदवार विवरण निम्नानुसार है:– क्षतिपूरक वृक्षारोपण = रू. 14,95,750/– एन.पी.वी. की राशि = रू. 60,40,900/– कुल राशि = रू. 75,36,650/–
5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 05 की पालना मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि भविष्य में एन. पी. वी. राशि की दर में कोई बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर में वांछित धनराशि जमा कराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता अभिकरण) वचन बद्ध है, का पत्र संख्या डी–64 दि. 30.11.2017 संलग्न है।
6	विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा स्तम्भों द्वारा सीमाकंन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरी से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशाक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 06 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण प्रयोजना निदेशक–II (पीपीपी) पी.डब्ल्यू.डी जयपुर का पत्र संख्या डी–64 दि. 30.11.2017 संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई०आर०सी० के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैन्ट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सडक के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	शर्त संख्या 07 की पालना में माननीय NGT द्वारा जारी आदेश की अनुपालना प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर करवाये जाने के लिये प्रयोक्ता अभिकरण वचन बद्ध है। प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र संख्या डी–64 दि. 30.11.2017 संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 08 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मक डिस्पोजल योजना संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या 09 की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागु सभी नियम कानुन तथा दिशा निर्देशो का पालन के लिए वचन बद्ध है । प्रयोक्ता अभिकरण का पत्र संख्या डी–64 दि. 30.11.2017 संलग्न है।
10	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुये संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघंन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।	डाईवर्जन हेतु प्रस्तावित 9.65 है० वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। जिससे प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही हुआ है।

कृपया प्रकरण में भारत सरकार से विधिवत् स्वीकृति जारी करवाने का कष्ट करे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक,
सीकर
दिनांक : 5/12/17

क्रमांक : सम/ 19716–17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर।
2. परियोजना निदेशक–II (पीपीपी) पी.डब्ल्यू.डी. राजस्थान, जयपुर।

(राजेन्द्र कुमार हुड्डा)
उप वन संरक्षक,
सीकर

F:/mahendra / letter 2

Scanned with CamScanner